International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0975-3486,(Print)E-ISSN-2320-5482, April- May (Combind),2013 VOL-IV * ISSUE 43-44

शोध पत्र- इतिहास

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वराज्य दल की भूमिका

April-May,2013

* अतुल गुप्ता * डॉ. जितेन्द्र शर्मा

* अतिथि प्राध्यापक, शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी

** सहा. प्राध्यापक, इतिहास, जी. एल. एस. महाविद्यालय, वानमौर जिला, मुरैना

चौरीचौरा की घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। जिस उददेश्य को लेकर आन्दोलन आरम्भ किया गया वह पूर्ण न हो सका । अतः सी. आर. दास ने जेल से निकलते ही देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया और मोतीलाल नेहरु के साथ मिलकर एक दल का निर्माण किया जिसका नाम रखा ''कांग्रेस खिलाफत स्वाराज्य पार्टी'' और दल में वे सभी सम्मिलित हुए जो विधान परिषदों में प्रवेश पाने के इच्छुक थे,[1]

चितरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरु तथा अन्य व्यक्ति इसके मंत्री नियुक्त हुए, इस दल ने एक आवी पत्र प्रकाशित करके अपने मन्तव्य और सिद्धांत बतलाये, जिस पर 100 से अधिक व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये, इनमें हकीम अजमल खां, श्री विजय पटेल और एन.सी. केलकर तथा सत्यमूर्ति और जयकर थे। मोतीलाल नेहरु ने उत्तर भारत में, पटेल ने बम्बई में, दास ने बंगाल और मध्यप्रांत में तथा दक्षिण भारत में दौरा करके अपना पक्ष मजबूत किया। तत्पश्चात् मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य खिलाफत दल का अधिवेशन हुआ, जिसमें दल का संविधान पास किया गया।[2]जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उनका एकमात्र ध्येय शांतिपूर्ण तरीको द्वारा स्वराज्य प्राप्ति होगा, उनके उद्देश्य इस प्रकार थे।

1. स्वराज्य प्राप्त करना। 2. पूर्ण औपनेविषक राज्य का दर्जा शीघ्र प्राप्त करना। 3. चुनाव लड़ना। 4. चुनाव लड़ने के बात अपनी मांगो की पूर्ति के लिए दबाब डालना। 5.अगर पूर्ति न हुई तो एक से लगातार और सुदृढ़ रुकावटें कौसिलों के अंतर्गत पैदा करने की नीति अपनाना। 6. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। [3]

स्वराज्य पार्टी की नई कार्यकारी समिति की स्थापना 27 मई 1923 को हुई जिसके अध्यक्ष डॉ0 अंसारी थे। टी. प्रकाशन, नेहरु और मेहमूद इसके सचिव थे, अन्य सदस्यों में सर्वश्री श्रीमती नायडू, सरदार तेजसिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरषोत्तम दास टंडन डॉ0 वर्दाचारी नायडू और ख्वाजा अब्दुल मजीद थे। [4]मांटफोर्ड सुधारों का विरोध करने के उददेश्य से स्वराज्य वादियों ने सन् 1923 में चुनाव लडने का फैसला किया। स्वराज्य पार्टी ने 14 अक्टूबर 1923 को मोतीलाल नेहरु द्वारा हस्ताक्षरित चुनावी घोशणा पत्र इलाहाबाद से जारी किये। 24 नवम्बर 1923 को हुए चुनाव ने एक नई जन–जागृति समाज में उत्पन्न की। [5] 24 नबम्वर 1923 के चुनाव में बम्बई मे 43 गैर मुस्लिम सीटो पर 23 सीटों में स्वराज्यवादियों की विजय हुई, बंगाल में 114 सीटों में से 45 सीटों पर स्वराज्यवादियों ने विजय हासिल की।[6]मध्यप्रांत में बहुमत स्वराज्य दल को प्राप्त हुआ। पंजाब और मद्रास में इस दल के कम लोग निर्वाचित हुए, बंगाल में यह दल अन्य प्रत्येक दल से बड़ा था। बम्बई, आसाम और उत्तर प्रदेश में यह दल काफी जोरदार था। बिहार और उड़ीसा में इस दल का एक भी सदस्य नहीं था। [7] स्वराज्य दल की सामन्य परिषद ने अपने सदस्यों के विधान परिषदों में व्यवहार के लिये कुछ कड़े निर्णय लियें। यह भी तय किया गया कि दल सरकार के समक्ष जाकर निम्न मांगे रखें, सभी राजनैतिक बंदियों को छोडने की मांग, दमनकारी कानूनों की समाप्ति की मांग तथा एक राष्ट्रीय अधिवेशन को बुलाये जाने की मांग जो कि भविष्य में भारत के निर्धारण का कार्य करेगी। यदि सरकार मांगे नहीं तानती तो निर्भय हाकर बाधा डालने और अंदर से संविधान तोड़ने की नीति अपनाई जायेगी। यह भी तय किया गया कि स्वराज्य पार्टी का कोई भी सदस्य न तो कोई पद लेगा न ही किसी प्रबल समिति की सदस्यता ग्रहण करेगा। [8]

वास्तव में यदि देखा जाय तो उदारवादियों और स्वराज्यवादियों के उद्देश्यों में कोई विशेष अंतर नहीं था दोनों ही शीघ्र अतिशीघ्र संवैधानिक विकास चाहते थे, दोनों ही यह मानते थे कि तत्कालीन सुधार भारतीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुकूलन नहीं थे, दोनों ही अपने–अपने ढंग से संविधान में परिवर्तन के लिए सरकार पर दबाव डालने पर विश्वास करते थे वें संविधान तथा भारत एवं ब्रिटिश संसद के बीच संबंधो में अमूलचूल परिवर्तन चाहते थे।[9] मध्यप्रांत में स्वाराज्यदल की विघान सभा में बहुमत था तो भी इस दल ने वहां अपना मंत्रीमण्डल नहीं बनाया, तब गर्वनर ने मंत्री नियुक्त कर दिये परंतु विधानसभा बजट नामंजूर करके मंत्रिमण्डल को त्याग पत्र देने पर बाध्य किया। जहाँ कहीं भी वे बहुमत प्राप्त कर सामने आये वहाँ उन्होने न तो खुद ही मंत्रीमण्डलों का निर्माण किया न किसी अन्य को करने दिया।[10] 9 जनवरी 1924 को लखनऊ में भारत के विधान परिषदों के स्वराज्यवादियों और गैर स्वराज्यवादी सदस्यों की एक मीटिंग हुई जिसमें मध्यप्रांत की सरकार द्वारा इसके प्रारंभिक सत्र में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिलों के बारे में चर्चा की गई। ये बिल थे– भूमि बंदोबस्त बिल, अफीम के नषे पर प्रतिबंध, प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिनियम। (14) यद्यपि ये तमाम बिल सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक थे तथापि यह निर्णय लिया गया कि सरकार के कार्यों में ''अवरोध उत्पन्न'' करने हेतु यह जरुरी होगा कि किसी कीमत पर भी यह बिलों को पास न होने दिया जाये।[11] मध्यप्रांत की जो बैठक 15 जनवरी 1924 को हुई इसमें कुल 70 सदस्य थे जिसमें से 41 स्वराज्यवादी थे, तथा 4 निर्दलीय सदस्यों का सहयोग भी इन्हें प्राप्त था। सरकारी सदस्यों की संख्या केवल

25 थी। ऐसे हालातों में 1919 के अधिनियम को सफलता पूर्वक अवरुद्ध किया जा सकता था। [12]

स्वराज्यवादीयों ने अपनी मांगो को एक के बाद एक सरकार के सामने रखना चालू किया साथ ही साथ उन्होने लगातार अनुदानों की मांगो को सरकार के सामने, सरकार के कार्यो में रोढ़े अटकाने के उद्देश्य से बिलों और बजट इत्यादि के माध्यम से रखने चालू कर दिये। कुछ ऐसी सूचनायें और ऐसे प्रश्न सभा में रखे गये जिनसे स्वाभाविक रुप से सरकार की गलत नीतियों का खुलास होता गया। कई बार ऐसे प्रश्न भी रखे जाते थे। जो कि सरकार द्वारा यूरोपियन को जबरदस्ती लाभ पहुंचाने की नीतियों को उजागर करते थे। [13]

जब मध्य प्रांत की कौसिल का बजट अधिवेशन 4 मार्च 1924 को शुरु हुआ इस अधिवेशन ने स्वराज्य वादियों की गतिविधि देखने लायक थी। वित्त मंत्री वी.पी. स्टेंडेन द्वारा बजट पेश किया गया, शिक्षा मंत्री श्री एस.एम. चिटनवीस द्वारा दो सरकारी बिल पुनः रखे गये। पहला जो मध्य प्रांत की शिक्षा नीति से संबंधित था, दूसरा जो मध्यप्रांत के मादक धुम्रपान से संबंधित था। दोनों ही बिल स्वराज्य बादियों के बहुमत द्वारा गिरा दिये गये। 6 मार्च 1924 को पूरक अनुदान की मांगे रखी गयी और उसके बाद वित्तमंत्री द्वारा पेन्शन और भत्ते संबंधि प्रस्ताव रखा गया। ये सभी स्वराज्य वादीयों के विरोध के कारण नकार दिये गये। [14] भू–राजस्व से संबंधी मांगो का भी यही हाल हुआ।[15]

मध्य प्रांत की विधान परिषदों में स्वराज्य पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने से उसने द्वेध शासन को असंभव सा बना दिया। स्वराज्यवादियों ने हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व लेना अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उन विषयों के लिए मंत्री दूसरी पार्टियों के लोग बनाये गये। अपनी घोषित नीति के अनुसार विधान तोड़ने के लिये स्वराज्य पार्टी ने मंत्रीमण्डल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया, बजट पेश किया गया तो स्वराज्य पार्टी ने हस्तांतरित विषयों की सभी मांगे अस्वीकार कर दी, आवश्यक व्ययों के लिये गर्वनर को अपने विशेष अधिकारों के अंर्तगत अनुमति लेनी पड़ी परन्तु मंत्रियों के स्थान रिक्त रहे, यह स्थिति 1924 तक बनी रही। 1924 में स्वराज्यवादियों ने अपना विरोधी स्वर कुछ कम कर लिया और आमतौर पर खर्चो की मांग स्वीकार कर ली गई परन्तु मंत्रीयों का वेतन घटाकर 2 रुपये सालाना कर दिया गया। 1924 के आरंभ में स्वराजी व स्वतंत्र सदस्यों ने संयुक्त रूप से बंगाल सरकार को तीन बार हराया और मंत्रियों को तनख्वाह देने से इन्कार कर दिया। [16]

1924 से 1926 के दौरान स्वराज्यवादियों ने जमकर सरकार की नितियों का विरोध किया और सफलता पूर्वक करों को हटानें की लडाईयां लड़ी तथा नमक पर से कर कम किया गया, सूती पर आबकारी कर एवं सल्फर कर आयत कर, ये तमाम कर कम कराये गये। [17] स्वराज्यवादियों नें बंगाल में भी इसी प्रकार की नीतियों को अपनाकर सरकार के मामलों में लगातार रोढ़े अटकाये। अचानाक 16 जून 1925 को श्री देशबंधु चितरंजनदास स्वराज्य पार्टी के नेता का अचानक निधन हो गया। इस समाचार ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, उनकी मृत्यु के बाद स्वराज्य दल कमजोर हो गया।[18]

स्वराज्य पार्टी की एकता और शक्ति धीरे–धीरे क्षीण होती चली गई। एस0बी0 तांबे और ई0 राघवेन्द्र राव दल छोड़कर गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में शामिल हो गये। [19]इन्होने अनुक्रियात्मक सहयोग की नीति अपना ली। 1926 के निर्वाचनों में स्वराज्य दल की हार हुई, केवल बंगल और मद्रास में उनको उल्लेखनीय सफलता मिली। मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश में एक–एक स्वराज्यदलीय व्यक्ति निर्वाचित हुआ, बम्बई में इनकी संख्या 2 थी। [20] नबम्बर 1926 का चुनाव पिछले चुनावों से भिन्न था, दो भागो मे बंट जाने के कारण स्वराज्य पार्टी कमजोर हो गई थी,इस समय सम्प्रदायवाद का बोलबाला था, स्वराज्य पार्टी के कुछ अनुभवी नेता साम्प्रदायिकता की भावना में रंग चुके थे, मतदाता जो जनसंख्या में 4 प्रतिशत थे, समझने लगे थे कि असयोग आंदोलन समाप्त हो गया है। स्वराज्य पार्टी प्रत्येक स्थान पर पराजित हुई। स्वराज्य पार्टी की ओर से एक भी मुस्लिम ने चुनाव नहीं लड़ा, स्वराज्य पार्टी से संबंध न रखने वाले विधान सभा के लगभग हिन्दू सदस्यों ने मालवीय, जयकर और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय पार्टी स्थापित कर ली।

उल्लेखनीय है कि स्वराज्यवादियों का उद्देश्य भी गांधी वादियों के समान ही था, स्वराज्य प्राप्ति।किन्तु स्वराज्यवादी अहिंसा आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे, उनका उद्देश्य था कि कौसिंल प्रवेश कर जनता को अपनी योग्यता का परिचय दें, उनका लक्ष्य था सरकार के कार्यो में बाधा डालना, साथ ही वे ऐसे विधेयक और प्रस्वाव पास करना चाहते थे जिनके द्वारा रचनात्मक कार्य हो सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रारंभ में स्वराज्य दल को कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई परंतु आगे चलकर दल में फूट के कारण यह सरकार के कार्यो में रूकावट डालने में अधिक सफल नहीं हो सका। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उनकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस दल ने असहयोग आन्दोलन की असफलता के बाद लोगों के मन में जो निराशा का भाव उत्पन्न हुआ था। उसे अपने सिद्धान्तों कृत्यो और नेतृत्व से काफी हद तक दूर करने में सफलता प्राप्त हुई।

संदर्भ ग्रंथ

1. बख्शी, एस.आर. – स्वराज्य पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लि. नई दिल्ली 1985 पृ.39 2. शर्मा, मथुरालाल – भारत का स्वतंत्र संघर्श, कैलाश पुस्तक संदन, ग्वालियर 1978, पृ.150 3. मित्रा, एन.एन. – दि इंडियन एनुअल रजिस्टर वाल्यूम–1 1923, दि एनुअल रजिस्ट ऑफिस कलकत्ता पृ. 143–44 4. मिश्रा, एच.एन. – इंडिया क्वाटरली रजिस्टर, वाल्यूम–1, 1923 पृ.63
5. मिश्रा, एच.एन. – इंडिया क्वाटरली रजिस्टर, वाल्यूम–1, 1923 पृ.63 6. मित्रा, एन.एन. – द इंडियन एनुअल रजिस्टर, वाल्यूम –2ए 1923 द एनुअल रजिस्टर आफिस कलकत्ता पृ. 231–32
7. शर्मा, मथुरालाल, भारत का स्वांत्रय् संघर्ष, कैलाश पुस्तक सदन ग्वालियर, पृ.151 8. विलियम्स, एल.एफ.आर. – इंडिया इन 1924–25, कलकत्ता गर्वनमेंट ऑफ इंडिया, 1925 पृ. 298–99
9. शर्मा मथुरालाल – भारत का स्वतंत्र संघर्ष, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर 1978 पृ. 153 10. मिश्रा, एच.एन. – इंडिया क्वाटरली रजिस्टर 1924 वाल्यूम 1 द एनुअल रजिस्टर ऑफिस कलकत्ता, पृ.69
11. रामगोपाल – हाव इंडिया स्टगेंल फार फ्रीडम, द बुक सेंटर प्रायवेट लिमिटेड, पृ.341 12. सीतारमयया, पट्टाभी – दि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाल्यूम–1 पदमा पब्लिकेशन लिमिटेड पृ.417
13. सीतारामय्या, पट्टाभी – दि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाल्यूम–1 पदमा पब्लिकेशन लिमिटेड पृ. 417 14. बख्शी एस.आर – स्वराज्य पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस , पब्लिशिंग हाऊस प्रा. लि. नई दिल्ली, 1985 पृ.100 15. मिश्रा, एच.आर. – इंडिया क्वाटरली रजिस्टर वाल्यूम – 1 दि एनुअल रजिस्टर कलकत्ता पृ. 16. रामगोपाल – भारतीय राजनीति, विक्टोरिया से नेहरु तक, 1858–1947 ज्ञान मण्डल लिमिटेड संवत् 2011 पृ.306 17. गर्वमेंट ऑफ इंडिया – होम पॉलिटिकल, 1924, फाईल नं 185 पृ.40 18. अग्रवाल, आर.सी. – भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, एस.चंद एण्ड कं.लि., नई दिल्ली 1985, पृ. 250 19.दत्त और पाम – इंडिया टुडे, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस बाम्बे, 1947 पृ.293 20. शर्मा, मथुरालाल – भारत का स्तंत्रता संघर्श, कैलाश पुस्तक संदन, ग्वालिर, 1978 पृ. 155